पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2009 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2597 में

2018 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 526

==========

श्री रमन कुमार, पुत्र-स्वर्गीय भूप नारायण लाल दास, निवासी-आदर्श कॉलोनी, पश्चिम पटेल नगर, डाकघर-एल. बी. एस. नगर, थाना-शास्त्री नगर, पटना 23

..... अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य अपने मुख्य सचिव, पुराने सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निबंधक, सहकारी समितियाँ, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला सहकारी अधिकारी, पटना।
5. बिहार असैनिक सेवा सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, पटना, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, खजपुरा, थाना-शास्त्री नगर, पटना-800025।

.....उत्तरदाता-1 सेट।

6. श्रीमती. मीना दास पुत्री-भूप नारायण लाल दास, उमा शंकर पत्नी-लाल दास, जिनकी आयु लगभग 64 वर्ष है, निवासी आदर्श पाटन, कछारी रोड, बैद्यनाथ, देवघर (झारखंड)-814112।
7. श्री ललन कुमार पुत्र-स्वर्गीय भूप नारायण लाल दास हैं, जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष है, जो चित्रगुप्त नगर, कायस्थ टोला, डाकघर एवं जिला-सहरसा। 8. श्रीमती. वीणा अरबिंद, पुत्री-स्वर्गीय भूप नारायण लाल दास, पत्नी-धीरेंद्र कुमार दास अरबिंद, गाँव के निवासी लगभग 57 वर्ष की आयु + डाकघर-परौल, वाया कलुआही, थाना-अरेर, जिला-मधुबानी, याचिकाकर्ता ग्राम के निवासी+डाकघर-पारुल, वाया-थाना-अरेर, जिला-मधुबनी।

.....याचिकाकर्ता सं. 1, 2 एवं 4/उत्तरदाता-दूसरा सेट

==========

याचिकाकर्ता को सोसायटी द्वारा भूमि का आवंटन न किए जाने को चुनौती दी जा रही है।

मूल याचिकाकर्ता को या तो सोसायटी के आवेदन को स्वीकार करने या अपना पैसा वापस लेने का अवसर दिया गया था-मूल याचिकाकर्ता विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए सोसाइटी द्वारा किए गए आवंटन को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं था जो मूल याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।(पैरा-25)

आदेश पारित होने की तारीख से 3 साल के अंतराल के बाद-माननीय खंड पीठ ने मूल सी.आर. विविध में विवाद को हल करने का प्रयास किया।- याचिकाकर्ता सहमत नहीं हुआ-पीठ ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने के बावजूद वे विफल रहे हैं-भूखंड का आवंटन और अपीलकर्ताओं को अपने पिता के माध्यम से दावा करने का अधिकार अब किसी भी निर्णय के लिए खुला नहीं है-पिछला इतिहास और इस मुद्दे पर निर्णय निर्णायक हैं-इसमें कोई अवैधता नहीं है।(पैरा-26)

सदस्यता समाप्त करने वाले समाज के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई-विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं-14 साल के बाद तुच्छ मुकदमेबाजी का पीछा करने वाले अपीलकर्ता-इस अदालत का मूल्यवान समय बर्बाद हो गया है-अपीलकर्ताओं के खिलाफ Rs.25,000/- की लागत लगाना न्यायोचित और उचित है।(पैरा-28,29)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

22009 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2597 में

2018 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 526

==========

श्री रमन कुमार, पुत्र-स्वर्गीय भूप नारायण लाल दास, निवासी-आदर्श कॉलोनी, पश्चिम पटेल नगर, डाकघर-एल. बी. एस. नगर, थाना-शास्त्री नगर, पटना 23

..... अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य अपने मुख्य सचिव, पुराने सचिवालय, पटना के माध्यम से।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निबंधक, सहकारी समितियाँ, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला सहकारी अधिकारी, पटना।
5. बिहार असैनिक सेवा सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, पटना, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, खजपुरा, थाना-शास्त्री नगर, पटना-800025।

.....उत्तरदाता-1 सेट।

6. श्रीमती. मीना दास पुत्री-भूप नारायण लाल दास, उमा शंकर पत्नी-लाल दास, जिनकी आयु लगभग 64 वर्ष है, निवासी आदर्श पाटन, कछारी रोड, बैद्यनाथ, देवघर (झारखंड)-814112।
7. श्री ललन कुमार पुत्र-स्वर्गीय भूप नारायण लाल दास हैं, जिनकी आयु लगभग 62 वर्ष है, जो चित्रगुप्त नगर, कायस्थ टोला, डाकघर एवं जिला-सहरसा। 8. श्रीमती. वीणा अरबिंद, पुत्री-स्वर्गीय भूप नारायण लाल दास, पत्नी-धीरेंद्र कुमार दास अरबिंद, गाँव के निवासी लगभग 57 वर्ष की आयु + डाकघर-परौल, वाया कलुआही, थाना-अरेर, जिला-मधुबानी, याचिकाकर्ता ग्राम के निवासी+डाकघर-पारुल, वाया-थाना-अरेर, जिला-मधुबनी।

.....याचिकाकर्ता सं. 1, 2 एवं 4/उत्तरदाता-दूसरा सेट

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री योगेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री राज बल्लभ प्रसाद यादव-एएजी11

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद)

तारीखः16-07-2018

वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 2597/2009 में विद्वान रिट अदालत द्वारा पारित दिनांकित 06.03.2018 के फैसले के लिए है। वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में निर्णय दिनांकित 06.03.2018 जो विद्वान रिट न्यायालय में सी डब्लू जे सी संख्या 2597/2009 द्वारा पारित हुआ है, को चुनौती दी गई है। विवादित निर्णय द्वारा, विद्वत रिट कोर्ट ने निबंधक, सहकारी समितियाँ, बिहारा पटना (उत्तरदाता सं. 3) द्वारा याचिकाकर्ता का निबंधित विवादित वाद सं. 103/2005 एवं विवादित वाद सं. 13/2006 में पारित ख़ारिज आदेश दिनांकित 02.09.2008 को खारिज एवं रद्द करने से इनकार कर दिया है।

2. विद्वान रिट न्यायालय ने सोसायटी के सचिव द्वारा जारी दिनांक 29.10.2007 के पत्र को रद्द करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की उक्त सोसायटी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त राहत देने से इनकार करने के बाद, विद्वान रिट न्यायालय प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने के लिए राजी नहीं हो सका कि उसे सोसायटी की सदस्यता के आधार पर सोसायटी में जिस

श्रेणी और क्षेत्र का भूमि का भूखंड आवंटित किया गया है, उसका कब्जा उसे दिया जाए और पंजीकरण आदि जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसे दिया जाए तथा जुर्माना और उचित मुआवजा दिया जाए।

3. रिट आवेदन को खारिज करते हुए, विद्वत रिट अदालत निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचीः-

> "9. जाहिरा तौर पर, वर्तमान स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता सोसायटी का सदस्य नहीं है क्योंकि उसकी सदस्यता पहले ही समाप्त कर दी गई है। समाप्ति आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, भले ही अन्य राहतों के लिए याचिकाकर्ता ने सहकारी समितियों के निबंधक से संपर्क किया था, जिसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने सदस्यता की समाप्ति के निर्णय को चुनौती देने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था। इसके अलावा, आदेश में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर समीक्षा/अपील दायर कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता समीक्षा/अपील के उपाय का लाभ उठाने में विफल रहा। ....."

4. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने और विद्वत रिट अदालत के विवादित फैसले में तथ्यों के वर्णन में, हम पाते हैं कि रिट याचिका शुरू में एक भूप नारायण लाल दास द्वारा दायर की गई थी, जिनकी मृत्यु 09.03.2011 पर रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान हुई थी, इसके बाद इन याचिकाकर्ताओं-अपीलार्थियों को मृतक याचिकाकर्ता की पत्नी के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। मृतक याचिकाकर्ता की पत्नी की भी 28.07.2014 को मृत्यु हो गई, और उसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ता जो रिकॉर्ड पर बने रहे, वे मूल रिट याचिकाकर्ताओं के दो बेटे और दो बेटियां हैं।

5. मामले के निर्विवाद तथ्यों को कंडिका-6 के बाद से विद्वान रिट अदालत द्वारा देखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद तब उत्पन्न हुआ था जब सोसायटी ने पहले मूल याचिकाकर्ता और सोसाइटी के 12 अन्य सदस्यों को एक भूखंड आवंटित किया था, लेकिन क्योंकि आवंटन अमल में नहीं आ सका क्योंकि सोसाइटी को भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी, इसलिए इस तरह के आवंटन को बाद में संशोधित किया गया था जिसमें 3885 वर्ग फीट का भूखंड था। याचिकाकर्ता को आवंटित किया गया था। उसी क्षेत्र की या उससे भी समान भूमि याचिकाकर्ता को आवंटित की गई थी। हालाँकि याचिकाकर्ता इस संशोधित आवंटन से संतुष्ट नहीं था जो पहले के 3926 वर्ग फीट क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम था। जो याचिकाकर्ताओं को आवंटित। अन्य सदस्यों ने संशोधित आवंटन को स्वीकार कर लिया।

6. इसके बाद मूल याचिकाकर्ता सहकारी समितियों के पंजीयक के पास गया, ताकि सोसायटी को समान स्थानों और स्थितियों के साथ उसी क्षेत्र की भूमि का आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा सके। पंजीयक, सहकारी समितियाँ (प्रत्यर्थी सं। 3) सोसायटी को समान स्थान और स्थिति में समान क्षेत्र की भूमि प्रदान करने का निर्देश जारी किया, लेकिन सोसाइटी याचिकाकर्ता को ऐसा भूखंड प्रदान करने में असमर्थ रही, याचिकाकर्ता को एक वैकल्पिक भूखंड की पेशकश की गई जो सोसाइटी के लिए उस समय प्रदान करने के लिए उपलब्ध और व्यवहार्य था। मूल याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं था, बल्कि उसने पंजीयक के समक्ष यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई कि सोसाइटी द्वारा उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया था। सहकारी समितियों के पंजीयक ने सोसायटी के अधिक्रमण का आदेश दिया जिसे सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4541/1999 में इस अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसकी अनुमति दी गई थी और अधिक्रमण के आदेश को दिनांक 04.03.2005 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।

7. विद्वत रिट अदालत ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4541/1999 में दिनांकित 04.03.2005 के आदेश के प्रासंगिक भाग का हवाला दिया है। विद्वान रिट अदालत ने मूल याचिकाकर्ता की शिकायत के संदर्भ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए पक्षकारों के बीच मामले को सुलझा लेने के लिए रिट अदालत की कार्यवाही के शुरुआती चरणों में किए गए प्रयासों पर ध्यान दिया और पाया कि सोसाइटी के नए जोड़े गए अध्यक्ष और सचिव की ओर से दायर 4 वें पूरक हलफनामे में, 14.02.2005 पर अपनी बैठक में लिया गया सोसाइटी का प्रस्ताव रिकॉर्ड पर लाया गया है और सोसाइटी द्वारा इस तरह लिए गए प्रस्ताव के माध्यम से मूल याचिकाकर्ता को सर्वेक्षण प्लॉट संख्या से एक भूखंड स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया था। 370 (जैसा कि प्रस्ताव के क्रम 4 (का) में संकेत दिया गया है) या अन्य दो भूखंड, लेकिन 4वें पूरक हलफनामे के जवाब में मूल याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस स्तर पर, सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4541/1999 में विद्वान रिट अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार दर्ज कियाः-

> “प्रत्यर्थी सं.7 द्वारा लिए गए अजीब और जिज्ञासु रवैये से भूखंड को नापसंद करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूमि के एक भूखंड में रुचि नहीं रखता है, लेकिन उसे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से वह केवल एक व्यर्थ और बेकार मुकदमेबाजी करना चाहता है। इस कार्यवाही के दौरान इस न्यायालय ने प्रतिवादी नं.7. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील को स्पष्ट रूप से बताया गया कि निष्पक्षता में सोसायटी को उन्हें भूमि का एक उपयुक्त टुकड़ा आवंटित करना चाहिए। यह आंशिक रूप से न्यायालय की टिप्पणियों के कारण कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नं.7, उसे समायोजित करने के लिए उसकी शिकायतों का निवारण करने के लिए सहमत हुए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सोसायटी ने उन्हें तीन भूखंडों का प्रस्ताव दिया, लेकिन

उनके कठोर रुख से अदालत आश्वस्त है कि प्रतिवादी नं. 7 को मदद करना असंभव है। उत्तरदाता नं. 7 समाज से कुछ ऐसी मांग कर रहा है जो उसके लिए देना असंभव है। यह वह सर्वेक्षण प्लॉट सं.362 नहीं है। अभी भी सोसायटी के लिए उपलब्ध है और फिर भी वह प्रतिवादी नं. को उससे एक भूखंड नहीं दे रहा है। 7. सर्वेक्षण प्लॉट सं362 सोसायटी के लिए उपलब्ध नहीं है और केवल इसी कारण से सोसाइटी इसका कोई भी हिस्सा प्रतिवादी को नहीं दे सकती है।"

8. यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त रिट आवेदन में सोसायटी रिट याचिकाकर्ता थी और वर्तमान मामले में मूल रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी नं.7

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि में जब सोसायटी ने सर्वेक्षण प्लॉट नं. 377 याचिकाकर्ता को दिनांकित 04.04.2005 के माध्यम से आवंटित किया एवं भूमि पर कब्जा के लिए अनुरोध किया एवं भूमि को कब्जा में लेने हेतु अनुरोध किया एवं विकल्प के संबंध में अपने आत्म-निवेदन को सुनिश्चित करने हेतु निमंत्रण दिया। याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा और एक बार फिर उसने सहकारी समितियों के पंजीयक के समक्ष अवमानना आवेदन दायर किया, जिसने ज्ञापन संख्या 698, दिनांक 28.01.1997 में निहित अपने आदेश के माध्यम से। 698 दिनांक (अनुलग्नक 6) (रिट आवेदन का अनुलग्नक-6) ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए इसे इस माननीय न्यायालय को भेजा।

10. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एम. जे. सी. सं. 1747/2005 16.11.2006 दिनांकित के आदेश के माध्यम से अवमानना आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि न्यायालय संतुष्ट था कि किसी भी अवमानना कार्यवाही को शुरू करने का कोई अवसर नहीं था। अवमानना आवेदन को खारिज करने के बाद सोसायटी ने अपनी आम सभा की बैठक में सोसाइटी से मूल याचिकाकर्ता की सदस्यता समाप्त करने का

निर्णय लिया और निदेशक मंडल ने याचिकाकर्ता को समीक्षा/अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे मंजूरी दी, जैसा कि सोसाइटी के उपनियमों द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन मूल याचिकाकर्ता ने कोई समीक्षा/अपील दायर नहीं की। उन्होंने समीक्षा/अपील दायर करने के बजाय इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया। विद्वत रिट अदालत ने पाया है और हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सोसायटी से अपनी सदस्यता की समाप्ति को चुनौती नहीं दी थी। विवाद मामला सं. 103/2005 अंततः रिट आवेदन के अनुलग्नक-29 में निहित 02.09.2008 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी का यह आदेश सं 3 को वर्तमान रिट आवेदन में चुनौती देने की मांग की गई है, और इस स्तर पर रिट आवेदन में मूल याचिकाकर्ता की सदस्यता समाप्त करने के सोसायटी के फैसले को भी चुनौती दी गई थी।

11. यह आगे रिकॉर्ड की बात है कि इससे पहले जब मूल याचिकाकर्ता ने सोसायटी के खिलाफ दिनांकित 26.10.1994 के आदेश का पालन न करने की शिकायत की थी, तो उसने बरखास्तगी मामला नं. 22/1995 जो अंततः इस अदालत तक पहुँचा और उसमें शामिल मुद्दों का फैसला सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 4541/1999 में किया गया था, लेकिन अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाले मूल याचिकाकर्ता के आवेदन को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अवमानना मामला संख्या 23/1995 के रूप में दर्ज किया गया था। और विद्वत अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, बिहार अवमानना मामला सं. 23/1995 पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थियों ने जानबूझकर संयुक्त पंजीयक की अदालत के आदेश की अवज्ञा की थी और इसलिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1970 के तहत अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए पूरे मामले को इस अदालत को भेजा था। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि मूल याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त निबंधक, सहकारी समितियों, बिहार, पटना की अदालत में एक और अवमानना संदर्भ मामला संख्या 85/1997 दायर किया था और फिर से विद्वान अतिरिक्त निबंधक ने उनके समक्ष सभी प्रत्यर्थियों के

खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए इस अदालत को मामला भेजा गया। अतिरिक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर उनके पत्र सं. 7844 दिनांक 04.09.1997 (रिट आवेदन का अनुलग्नक-10) एक मूल आपराधिक विविध (खंड पीठ) सं. 21/1997 इस अदालत द्वारा कथित अवमानकों के खिलाफ शुरू किया गया था। मूल आपराधिक विविध मामले के लंबित रहने के दौरान, सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4541/1999 का पहले ही निपटारा कर दिया गया था और सोसायटी की प्रबंध समिति के अधिनिर्णय का आदेश तत्कालीन प्रतिवादी सं. 3 मूल याचिकाकर्ता के कहने पर खारिज कर दिया गया था।

12. अ.वि.(खं.पीठ) का निपटान करते समय विविध (खं.पीठ) सं. 21/1997 दिनांकित 11.09.2008 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय की माननीय समन्वय पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार दर्ज कियाः-

> “हमने पक्षों के बीच विवाद को उचित और कानूनी तरीके से हल करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए, जो हमारे द्वारा किए जा सकते थे। लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि हम असफल रहे हैं।”

अवमानना आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ने के कारणों को समाप्त और संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए माननीय खंड पीठ ने निम्नानुसार दर्ज किया हैः-

> "..... चूंकि मूल पुरस्कार अब वहां नहीं है और इस न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है, संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार में, हम उस मूल निर्णय को लागू करने की स्थिति में नहीं थे जिसके लिए तत्काल कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय ने अपने संवैधानिक रिट क्षेत्राधिकार में सहकारी समिति के उक्त सदस्य के पक्ष में भूमि के कुछ अन्य भूखंड के आवंटन का निर्देश दिया था, हमने पक्षों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए

सभी प्रयास किए, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम बुरी तरह विफल रहे हैं। ..."

13. मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में जब वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को जन्म देने वाले रिट आवेदन की सुनवाई विद्वान रिट अदालत द्वारा की गई थी, तो विद्वान रिट अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है और रिट आवेदन को तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

14. वर्तमान मामले में अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र मिश्रा ने विद्वान रिट अदालत के फैसले को चुनौती देने की मांग की है। उनका निवेदन है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के पिछले इतिहास को देखा है और इस बात की सराहना नहीं कर सके कि मूल याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांकित 04.03.2005 में अनुलग्नक-15 में निहित रिट आवेदन में पारित इस अदालत के दिनांक 04.03.2005 के आदेश के तहत कार्रवाई का एक नया कारण सामने आया है।

15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान अधिवक्ता ने एक गलत निष्कर्ष वापस किया है कि अपीलार्थियों के पिता ने प्रतिवादी समाज को तीस दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया, इसलिए, यह एक विकृत प्रकार का निष्कर्ष है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस अदालत के आदेशों के तहत (रिट आवेदन के अनुलग्नक-15) अपीलार्थी के पिता ने प्लॉट नं. 377 अनुलग्नक-18 और 19 के माध्यम से और प्रतिवादी सोसायटी ने उसे अनुलग्नक-20 के माध्यम से उक्त भूखंड आवंटित किया, और इसलिए एक बार अपीलार्थी के पिता में निहित अधिकार को बाद की घटनाओं के बाद किसी भी तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता है।

16. विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा का यह और तर्क है कि माननीय एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी के पिता की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और मूल सदस्य ने समाप्ति पत्र को चुनौती नहीं दी थी और इसलिए अपीलार्थी के पास कोई

कारण नहीं है, पूरी तरह से गलत, मिथ्या का अर्थ लगाना और विकृत है क्योंकि उक्त निष्कर्ष बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 48 के प्रावधानों में जाए बिना दर्ज किया गया है, जिसके तहत विवाद प्रत्यर्थी निबंधक के समक्ष उठाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही अपीलार्थी के पिता की सदस्यता समाप्त करने के सोसायटी के निर्णय को पंजीयक, सहकारी समिति के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन पूर्व सदस्य या मृतक सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच विवाद बहुत अधिक इस प्रकार रिट याचिका को खारिज करना पूरी तरह से विकृत और गलत है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सदस्यता की समाप्ति स्वयं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी।

17. राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने लेटर्स पेटेंट अपील का विरोध किया है। यह उनका निवेदन है कि अपीलकर्ता एक तुच्छ प्रकार के मुकदमों का पीछा कर रहे हैं जो इस अदालत द्वारा इस रिट आवेदन, अवमानना याचिका और मूल अ.वि. में पारित विभिन्न आदेशों से स्पष्ट होगा।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा का यह तर्क कि अनुलग्नक-15 में निहित इस अदालत के आदेशों के तहत मूल याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न हुआ है, एक गलत धारणा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट आवेदन के अनुलग्नक-15 के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि जहां तक उसी क्षेत्र और स्थान के एक ही भूखंड के लिए याचिकाकर्ता के दावे का संबंध है, सोसाइटी के लिए उसे प्रदान करना संभव नहीं था और इसलिए याचिकाकर्ता को जो पेशकश की गई थी, वह संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा सोसाइटी को जारी किए गए निर्देश से पूरी तरह संतुष्ट है, विद्वान रिट अदालत ने सोसाइटी के अधिनिर्णय के विवादित आदेश को रद्द कर दिया था। निर्णय के समापन भाग में, विद्वान रिट अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

"इस मामले को बंद करने से पहले अदालत तब भी चाहेगी कि प्रतिवादी सं. 7 को एक और मौका दिया जाए। तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि यह प्रतिवादी नं. 7 उसे दिए गए तीन भूखंडों में से किसी एक को स्वीकार करने के संबंध में या सोसायटी द्वारा उसे दिए गए धन को स्वीकार करने के लिए भूमि के बदले में आज से दो महीने के भीतर सोसायटी को लिखित रूप में सूचित करना। मामले में प्रतिवादी नं 7 दो महीने के भीतर सोसायटी को इस तरह की सूचना देता है, सोसाइटी उसके पक्ष में उसके द्वारा चुनी गई भूमि का भूखंड आवंटित करेगी और बिना किसी देरी के हस्तांतरण और पंजीकरण की औपचारिकताओं को पूरा करेगी। मामले में प्रतिवादी नं 7 यदि आप धन का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, तो उनके पत्र की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर उन्हें भी इसी तरह का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, मामले में, प्रत्यर्थी नं 7 आज से दो महीने के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहने पर सोसायटी कानून और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों और उप-कानूनों के अनुसार भूमि के तीन भूखंडों का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी जो वह उपयुक्त और उचित समझे। …"

18. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत रिट अदालत का निर्णय के परिचालन में सी डब्लू जे सी सं. 4541/1999 (रिट आवेदन का अनुलग्नक-15), जब यह न्यायालय आदेश को देखना को मूल अ.वि. (खं.पीठ) सं. 21/1997, 11.09.2008 को निपटायेंगे जब यह न्यायालय मूल अ.वि.(खं.पीठ) सं. 21/1997 में पारित दिनांकित 11.09.2008 के आदेश पर गौर करेगा। विविध(खंड पीठ) नं. 11.09.2008 को निपटाया गया, यह किसी भी संदेह से परे स्पष्ट और सुस्पष्ट होगा कि रिट अदालत के फैसले के समापन भाग में याचिकाकर्ता को जो उद्घाटन प्रदान किया गया था, वह निर्धारित अवधि के

भीतर उसके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया था, फिर भी इस अदालत की माननीय खंड पीठ ने अ.वि. वाद की सुनवाई करते हुए। विवादों को उचित और कानूनी तरीके से हल करने की कोशिश की, लेकिन मूल याचिकाकर्ता सोसायटी को वही भूखंड आवंटित करने का निर्देश देने वाले मूल आदेश को लागू करने पर जोर दे रहा था। इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने इतने शब्दों में दर्ज किया है कि न्यायालय द्वारा किए गए प्रयास बुरी तरह विफल रहे हैं। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस स्तर पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का यह तर्क कि उसके पास रिट अदालत के दिनांक 04.03.2005 के आदेश के तहत कार्रवाई का एक नया कारण था, इस अदालत को गुमराह करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमजेसी सं. 1747/2005 जिसे सीडब्ल्यूजेसी सं. 4541/1999 में पारित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया था।

19. यह भी बताया गया है कि विद्वत रिट अदालत द्वारा पारित आदेश के बाद सोसायटी के सचिव ने उन्हें भूखंड सं. ए/50 माप 3000 वर्ग फीटथाना नं.11 में तौज़ी सं. 5765, खाता सं. 348, सर्वेक्षण गाँव का प्लॉट सं. 377-खजपुरा थाना-शास्त्री नगर, जिला-पटना में रिट याचिका के माध्यम से। हालांकि याचिकाकर्ता ने उसे स्वीकार नहीं किया एवं रिट आवेदन के साथ याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है कि वह सोसायटी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार था। याचिकाकर्ता अपने द्वारा दिए गए प्रस्ताव के खिलाफ विभिन्न प्रकार के विवाद उठा रहा था और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इन कारणों से जब अवमानना याचिका इस अदालत के समक्ष विचार के लिए आई तो उसे खारिज कर दिया गया।

20. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है और निष्कर्ष के किसी भी हिस्से को विकृत नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने ऐसे आधार उठाए हैं जो

सजावटी प्रकृति के हैं और जिनके समर्थन में कोई दलील या सामग्री नहीं है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि सदस्यता की समाप्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई थी, फिर से पूरी तरह से गलत धारणा है क्योंकि सोसायटी के मामले में जहां सोसायटी के सदस्यों की आम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

21. रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए बहाना में, विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया आवेदन में, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वास्तव में विभिन्न अनुच्छेदों में याचिकाकर्ता ने अवमाननापूर्ण बयान दिए हैं क्योंकि अवमानना याचिका में पारित आदेश की शुद्धता को चुनौती देने के प्रयास किए गए हैं जिसके द्वारा अदालत ने अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा मूल आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश को देखते हुए याचिकाकर्ता की सभी दलीलें कि वह आवंटित भूखंड पर कब्जा करने के लिए तैयार था और उसका पंजीकरण कराना चाहिए, खारिज किए जाने योग्य हैं। याचिकाकर्ता उक्त भूखंड के लिए सहमत नहीं था, यह एक तथ्य है जो अब मूल आपराधिक विविध मामले में माननीय खंड पीठ द्वारा पारित आदेश से निर्णायक रूप से साबित होता है।

22. राज्य के विद्वान वकील आगे दर्शाते हैं कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रथम बार सोसाइटी की ओर से दाखिल 5वें पूरक शपथ-पत्र, उन्हें मालूम हुआ कि एक कारण बताओ सूचना उन्हें जारी किया गया यह बताने हेतु कि उनकी सदस्यता सोसाइटी को वित्तीय हानि का कारण होने के कारण एवं सोसाइटी के खिलाफ आरोप लगाने हेतु समाप्त की जाए। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि संकल्प दिनांकित 30.09.2007 (रिट याचिका

का अनुलग्नक-26) आम सभा के सदस्यों द्वारा पारित किया हुआ, को भी अभिलेख पर लागया गया जिसके बारे में याचिकाकर्ता को कोई सूचना 5वें पूरक शपथ पत्र को दाखिल करने के पूर्व दायर किया गया, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के वकील को 07.09.2008 को सौंपा गया। इस प्रकार यह इंगित किया जाता है कि लेटर्स पेटेंट अपील में उठाए गए आधारों में कहा गया है कि विद्वान रिट अदालत का यह निष्कर्ष कि मूल सदस्य ने समाप्ति पत्र को चुनौती नहीं दी थी, को विकृत नहीं कहा जा सकता है। यह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। इस न्यायालय को शामिल विवादों की प्रकृति और मामले के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास और मूल याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखना होगा, उनका निवेदन है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सीधे सूत्र में नहीं रखा जा सकता है और इसे मामले के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

23. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल याचिकाकर्ता की सदस्यता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए समाप्त कर दी गई थी और इसलिए रिट अदालत ने रिट आवेदन में अनुरोध की गई कि राहत देने से इनकार कर दिया है।

24. लेटर्स पेटेंट अपील की सुनवाई के क्रम में, जब हम इस न्यायालय के अवलोकन के दौरान सी.डब्लू.जे.सी. सं. 4541/1999 के निष्कर्ष, जिसे विद्वत रिट न्यायालय के समय को उद्धृत किया गया है। अभिलिखित इस अदालत की टिप्पणियों को देखा, जिसके उद्धरणों को विवादित फैसले में विद्वान रिट अदालत द्वारा उद्धृत किया गया है और उस दर्द को आगे बढ़ाते हुए जिसके साथ इस अदालत की माननीय खंड पीठ ने मूल आपराधिक विविध मामले का निपटारा करते हुए दर्ज किया कि माननीय न्यायाधीशों ने एक उचित और कानूनी समाधान खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे, तो हमने विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र मिश्रा की ओर इशारा किया कि मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों में यह एक प्रकार की व्यर्थ कवायद है और यह एक प्रकार का व्यर्थ प्रयास होगा। जो इस अदालत के समय की केवल बर्बादी थी, लेकिन विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने अपनी दलीलों पर जोर दिया और हमें एक बार फिर पूरे रिकॉर्ड के माध्यम से ले गए।

25. हमने अपीलार्थियों और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है। हमारे समक्ष जो तर्क दिए गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन पर ध्यान देते हुए हम विद्वान रिट अदालत द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं, जो सभी अभिलेखों पर आधारित हैं। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब रिट आवेदन का अनुलग्नक-15 द्वारा निपटारा किया गया और मूल याचिकाकर्ता को दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सोसायटी के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अपना पैसा वापस लेने का अंतिम अवसर दिया गया, तो मूल याचिकाकर्ता ऊपर के विभिन्न कारणों को उद्धृत करते हुए जो अभिलेखों पर उपलब्ध पत्राचार से स्पष्ट होंगे।

26. जो भी हो, विद्वत रिट न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से लगभग तीन साल बाद भी जब इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने विवाद को उचित और कानूनी तरीके से हल करने का प्रयास किया, तो मूल याचिकाकर्ता सहमत नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप माननीय खंड पीठ ने यह दर्ज करके अपनी नाराजगी व्यक्त की कि उनके द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे विफल रहे हैं। इस प्रकार भूखंड के आवंटन और वर्तमान अपीलार्थियों के अपने पिता के माध्यम से दावा करने के अधिकार के प्रश्न पर अब किसी भी निर्णय के लिए खुला नहीं है। अतीत का इतिहास और बिंदुओं पर निर्णय निर्णायक हैं, इसलिए विद्वान रिट अदालत ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामले को खारिज करते हुए इस पर सही ध्यान दिया है और हम इसमें कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

27. अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि मूल याचिकाकर्ता की सदस्यता सोसायटी के सदस्यों की एक आम सभा की बैठक में समाप्त कर दी गई थी, जिसे अभिलेख में लाया गया था और मूल याचिकाकर्ता के अनुसार उसे इसके बारे में 07.09.2008 पर पता चला, अर्थात पंजीयक, सहकारी समितियों, बिहार के समक्ष लंबित दो विवाद मामलों के निपटारे के बाद। इस प्रकार मूल याचिकाकर्ता ने समाप्ति के आदेश में बताए गए आधारों पर अपनी सदस्यता समाप्त करने के सोसायटी के फैसले को चुनौती नहीं दी है। इसलिए विद्वत रिट अदालत ने सही तरीके से दर्ज किया है कि मूल याचिकाकर्ता ने उपयुक्त अदालत/मंच के समक्ष उसके लिए उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया।

28. हमारा विचार है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक सीधे सूत्र में नहीं पिरोया जा सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों में जहां मूल याचिकाकर्ता के कहने पर मुकदमे की श्रृंखला शुरू की गई थी और बार-बार अवमानना आवेदन दायर किया जा रहा था जिसमें एक भूखंड का दावा किया जा रहा था जो सोसायटी के लिए उपलब्ध नहीं था और यहां तक कि इस अदालत द्वारा मामले को हल करने के लिए किए गए प्रयास भी विफल हो गए थे। सोसायटी ने पाया कि मूल याचिकाकर्ता सोसाइटी को इतने सारे मुकदमों में शामिल करके सोसाइटी को वित्तीय नुकसान पहुंचा रहा था, सोसाइटी के सदस्यों ने मूल याचिकाकर्ता की सदस्यता को समाप्त करने का फैसला किया। सोसायटी और उसके सदस्य के बीच विवाद एक ऐसा विषय है जो सहकारी समिति अधिनियम की धारा 48 द्वारा शासित है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी तथ्यों और मुद्दों पर जा सकते थे और उन पर निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन मूल याचिकाकर्ता ने कानून के अनुसार अपने उपचार का लाभ नहीं उठाया। यह न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते हमारी विचाराधीन राय है कि रिट न्यायालय ने अपने शक्ति का उचित विवादि आदेश को दरकिनार करने से इनकार करके असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है।

29. ऊपर वर्णित कारणों से, हमें विद्वत रिट अदालत के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, अपीलार्थी 14 साल से अधिक समय के बाद एक ओछा मुकदमे का पीछा कर रहे हैं। इस प्रकार लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता एक ओछा प्रकार के मुकदमे का अनुसरण करने में शामिल हैं और अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील को दिए गए संकेतों के बावजूद, इस अदालत का मूल्यवान समय बर्बाद हुआ है, हम इसे न्यायपूर्ण और उचित पाते हैं कि अपीलार्थियों के विरुद्ध रु. 25,000/- का खर्च लगाया हज़ा है जो वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सोसायटी को देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायाधीश)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।